



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218634
CG-DL-E-13032020-218634

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 944]
No. 944]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

का.आ. 1050(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को, प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीखों से तीन वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, वेतन मैट्रिक्स स्तर-17 (2,25000/- रु.नियत) में नियुक्त करती है:—

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पद	पदग्रहण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अनंत विजय सिंह	न्यायिक सदस्य	21.01.2020
(ii)	सुश्री श्रीशा मेरला	तकनीकी सदस्य	22.01.2020 (अपराह्न)
(iii)	श्री आलोक श्रीवास्तव	तकनीकी सदस्य	14.02.2020 (अपराह्न)

[फा. सं. ए-12023/1/2019-एडी.IV(भाग-I)]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

S.O. 1050(E).— In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints following persons as Judicial and Technical Members in the National Company Law Appellate Tribunal in level-17 in the pay matrix (Rs. 225000/- fixed) with effect from the dates mentioned against each for a period of three years or till the attaining the age of sixty-seven years or until further orders, whichever is the earliest:—

Sl. No.	Name of the Member	Name of post	Date of Joining
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	Justice (Retd.) Anant Bijay Singh	Judicial Member	21.01.2020
(ii)	Ms. Shreesha Merla	Technical Member	22.01.2020 (Afternoon)
(iii)	Shri Alok Srivastava	Technical Member	14.02.2020 (Afternoon)

[F. No. A-12023/1/2019-Ad.IV (Pt. I)]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.